किस्म मुकदमा...राजस्व....अपील....मुकदमा नम्बर.....54............/2023

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री.....श्रीराम बिश्नोई..........यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा......111, 128..............राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक.....3/4/23..........को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
3/4/23	दिनांक 3/4/23 को राजकीय अवकाश होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 13/4/23 को पेश हो।	
13/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप. नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है अतः नेरवमबंदो निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो। (हस्ताक्षर)	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं. 54/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट
कुम्पसिंह वगैरा बनाम खेताराम वगैरा
पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक – 13/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा कारटिया के खेत खसरा संख्या 496/10 रकबा 14.0426 हैक्टर, खसरा संख्या 498/10 रकबा 00.5827 हैक्टर, खसरा संख्या 529/405 रकबा 19.0930 हैक्टर, खसरा संख्या 9 रकबा 0.0728 हैक्टर कुल रकबा 33.7911 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा कारटिया के खेत खसरा संख्या 496/10 रकबा 14.0426 हैक्टर, खसरा संख्या 498/10 रकबा 00.5827 हैक्टर, खसरा संख्या 529/405 रकबा 19.0930 हैक्टर, खसरा संख्या 9 रकबा 0.0728 हैक्टर कुल रकबा 33.7911 की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. कुम्पसिंह पुत्र राणसिंह 2. रूपसिंह पुत्र राणसिंह 3. खेतसिंह पुत्र रूपसिंह 4. लिलसिंह पुत्र रूपसिंह 5. बाबुकंवर पत्नि रूपसिंह 6. जगसिंह पुत्र खीमसिंह 7. तेजमालसिंह पुत्र खीमसिंह 8. रावतसिंह पुत्र खीमसिंह 9. जबरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 10. वीरकंवर पत्नि गोविन्दसिंह 11. जोगराजसिंह पुत्र अखेसिंह 12. प्रभातकंवर पुत्री अखेसिंह 13. नारायणसिंह पुत्र हरिसिंह 14. भगवानसिंह पुत्र हरिसिंह 15. भीखकंवर पत्नि हरिसिंह जातियान–राजपूत, निवासी–कारटिया, तहसील–सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. खेताराम पुत्र धूड़ाराम 2. किस्तुरी पत्नि धूड़ाराम 3. देवाराम पुत्र जुंझाराम 4. रादराम पुत्र जुझाराम 5. भूरी पत्नि जुंझाराम 6. केराराम पुत्र कुम्भाराम 7. नारणाराम पुत्र कुम्भाराम 8. प्रहलादराम पुत्र कुम्भाराम 9. पाबूराम पुत्र भेराराम 10. हुकमाराम पुत्र भेराराम 11. धापूदेवी पत्नि भेराराम 12. रूपाराम पुत्र पदमाराम 13. पुरखा पुत्र ईशरा 14. भंवरा पुत्र ईशरा 15. तीजों पत्नि ईशरा 16. पाबूराम पुत्र उमेदाराम जातियान–जाट, निवासी–कारटिया, तहसील–सेड़वा, जिला बाड़मेर। 17. हेमाराम पुत्र पाबू 18. कालूराम पुत्र पाबू 19. जुझाराम पुत्र बाबू 20. रामाराम पुत्र पाबू 21. भेरा पुत्र रूपा 22. नरीगा पुत्र रूपा 23. गुगना पुत्र शेरा 24. हुकमा पुत्र शेरा 25. चेना पुत्र शेरा 26. किशना पुत्र शेरा जातियान–जाट, निवारा–हनुमानपूर, तहसील–सेड़वा, जिला बाड़मेर। 27. गंगादेवी पत्नि तेजाराम 28. भीमा पुत्र खेता 29. नागजी पुत्र शेम्भू 30. पाबूराम पुत्र शेम्भू 31. पताराम पुत्र शेम्भू 32. सुरा पुत्र भेरा 33. मावा पुत्र भेरा 34. सिंणगारी पत्नि भेरा 35. हुजुदेवी पत्नि भजनाराम जातियान–भील, निवासी–कारटिया, तहसील–सेड़वा, जिला बाड़मेर। 36. पाचा पुत्र रूपा 37. सेजू पत्नि रूपा 38. प्रेमाराम पुत्र तगा 39. सरदाराराम पुत्र कालाराम 40. गजाराम पुत्र कालाराम 41. सवा पुत्र सुरता 42. भूरा पुत्र सुरता 43. केशा पुत्र सुरता 44. गीगा पुत्र नेता 45. शंकरा पुत्र नेता 46. केहरा पुत्र नेता 47. तेजा पुत्र नेता 48. टीकमा पुत्र नेता जातियान–रबारी, निवासी–कारटिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 49. जोगराजसिंह पुत्र जुझारसिंह जाति राजपुत, निवासी कारटिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 50 तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 54/2023

दिनांक : 13/05/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा कारटिया के खेत खसरा संख्या 496/10 रकबा 14.0426 हैक्टर, खसरा संख्या 498/10 रकबा 00.5827 हैक्टर, खसरा संख्या 529/405 रकबा 19.0930 हैक्टर, खसरा संख्या 9 रकबा 0.0728 हैक्टर कुल रकबा 33.7911 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/ 671-74

दिनांक 13/05/23

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी कुम्पसिंह पुत्र राणसिंह वगैरा।
3. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र धूड़ाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा